रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 25 अगस्त, 1992/3 भाद्रपद, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 अगस्त, 1992

सं0 पी0 सी9 एच0-ए0 ए0 (5) 51/88---क्योंकि उप-मण्लाधिकारी (ना0) पालमपुर द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार श्री बलदेव सिंह (निलम्बित) प्रधान, ग्राम पंचायत अन्द्रेटा, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा अपने ग्राम सभा क्षेत्र के निवासियों से तीन रुपये प्रति राशन कार्ड की दर से राशि वसूल करते रहे जिसे उन्होंने सभा निधि में जमा नहीं किया और राशन कार्ड एक वर्ष की बजाय 5 वर्षों के लिए जारी करते रहे जो विभागीय आदेशों व पंचायती राज अधिनियमों व उसके अन्तर्गत बने नियमों की उल्लंघना है;

क्योंकि बलदेव सिंह प्रधान (निलम्बित) ग्राम सभा क्षेत्र अन्द्रेटा के वार्ड नं0 4 से पंच पद के लिए भी निर्वाचित हुए थे और नियमानुसार वह केवल एक पद पर ही आसीन रह सकते थे और एक पद त्याग देना उनके लिए अनिवार्य था जो नहीं किया अपितु वार्ड नं0 4 के लिए श्री बख्शी चन्द को वार्ड का पंच मनोनीत कर दिया जैसा कि राशन कार्डों पर छपे पंच के नाम से स्वतः स्पष्ट है ;

क्योंकि श्री बलदेव सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत अन्द्रेटा अनुचित रूप से अपने सभा क्षेत्र में लोगों से स्थानीय खड्डों के रेत, बजरी, पत्थरों का अधिकार शुल्क (रायल्टी) अनाधिकृत रूप से वसूल कर रहे हैं;

क्योंकि उक्त कृत्य के लिए श्री बलदेव सिंह प्रधान को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अन्तर्गत और पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन उपायुक्त कांगड़ा द्वारा दिनांक 10 जून, 1992 को 7 दिन का निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 20 जून, 1992 को निलम्बित कर दिया गया ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोकि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के तहत प्राप्त हैं निम्नलिखित आदेशित करते हैं :—

(क) उपायुक्त कांगड़ा के कार्यालय आदेश सं0 पंच के0 जी0 आर0 आई0 (12) 2/91-794-801 दिनांक 20 जून, 1992 द्वारा पारित निलम्बन आदेश रद्द किया जाता है क्योंकि प्रधान द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस के उत्तर जोकि 15-6-92 को उनके कार्यालय में प्राप्त हो चुका था को समय पर प्रस्तुत करके जल्दबाजी में निलम्बित किया गया है ।

(ख) उपर्युक्त वर्णित दोषों में वास्तविकता को जानने के लिए अतिरिक्त दण्डाधिकारी कांगड़ा को जांच अधिकारी तथा जिला अंकेक्षण अधिकारी कांगड़ा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है । जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे ।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव (पंचायत) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।